



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2684/अका./का.प/2024

रायपुर, दिनांक 18/02/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '84वाँ' बैठक रविवार दिनांक 18.02.2024 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. व्यास दुबे	– सदस्य	6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स	– सदस्य
2. डॉ. राजीव चौधरी	– सदस्य	7. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा	– सदस्य
3. डॉ. संजय जे. डहरवाल	– सदस्य	8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य
4. डॉ. रोहिणी प्रसाद	– सदस्य	9. डॉ. गिरीश चंदेल	– सदस्य
5. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	– सदस्य	10. डॉ. बिजयानंद सिंह	– सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.01.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.01.2024 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित आय-व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वित्तीय वर्ष 2022-23 वास्तविक आय-व्यय, वर्ष 2023-24 पुनरीक्षित आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित आय-व्यय का अनुमोदन किया गया।

विश्वविद्यालय बजट पर चर्चा के समय कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. गिरीश चंदेल, कुलपति, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं डॉ. रोहिणी प्रसाद के द्वारा विश्वविद्यालय के बजटीय घाटे को कम करने के लिए अपनाए जा रहे उपाय के संबंध में जानकारी चाही गई। उक्त के संबंध में संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत छात्रों से प्राप्त परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क तथा शासन द्वारा प्राप्त BMG राशि है। इसमें से मात्र परीक्षा शुल्क के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर विचार किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के संदर्भ में उक्त सदस्यों के सुझाव पर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से एक सक्षम समिति गठित कर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लिये जाने वाले शुल्क की समीक्षा किये जाने पर सहमति प्रदान की।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के 27वाँ दीक्षांत समरोह दिनांक 20 फरवरी, 2024 में प्रो. बी.आर. मणि, महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली एवं कुलपति, भारतीय संस्कृति संस्थान, नोएडा को मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत उद्बोधन प्रदान करने हेतु राजभवन का पत्र क्र. 654/187/2024/रास/यू-1 दिनांक 06.02.2024 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

5. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के 27वाँ दीक्षांत समरोह दिनांक 20 फरवरी, 2024 में श्री माधव कौशिक, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली को मानद उपाधि (Honorary Degree) प्रदान करने हेतु राजभवन का पत्र क्र. 653/1010/2024/रास/यू-1 दिनांक 06.02.2024 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

फार्मसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. सत्र 2024-25 हेतु Pharmacy Council of India, New Delhi द्वारा वर्तमान संचालित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता शुल्क व नये कोर्स की सम्बद्धता शुल्क राशि रु. 6,49,000.00 (रुपए छः लाख उनचास हजार तीन सौ अस्सी मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.02.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 84 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा 2023-24 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रुपए 15,89,500.00 (रुपए पंद्रह लाख नवासी हजार पाँच सौ मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

3. शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबंद के परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रुपए 18,27,500.00 (रुपए अठारह लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ मात्र) का समायोजन एवं आधिक्य व्यय राशि रुपए 4,35,398.00 (रुपए चार लाख पैंतीस हजार तीन सौ अठानबे मात्र) के प्रतिपूर्ति भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. सुनील कुमेट्टी (अर्थशास्त्र अध्ययनशाला) IBITF- Research Project के अंतर्गत 50 वर्कशॉप हेतु राशि रुपए 75,00,000.00 (रुपए पचहत्तर लाख मात्र) के भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा-राजिम, जिला-रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय: सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा-राजिम, जिला-रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद पर चयनित डॉ. धारिणी रॉय के नाम का अनुमोदन किया गया।

6. गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी के प्राचार्य पद पर 05 वर्ष पुनर्नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी के प्राचार्य पद पर चयनित डॉ. होबलाल साहू को 05 वर्ष पुनर्नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन किया गया।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् श्रेणी से एक सदस्य नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् श्रेणी से डॉ. रोहिणी प्रसाद, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला को सदस्य नियुक्त किए जाने का अनुमोदन किया गया।

मानव विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. प्रोजेक्ट के कुल राशि रु. 38.60 लाख (रुपए अड़तीस लाख साठ हजार मात्र) से द्वितीय किश्त की राशि रु. 19.30 लाख (रु. उन्नसी लाख तीस हजार मात्र) में से राशि रु. 15.30 लाख (रुपए पंद्रह लाख तीस हजार मात्र) की राशि अग्रिम प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

9. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के 27वाँ दीक्षांत समारोह दिनांक 20 फरवरी, 2024 में श्री माधव कौशिक, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली को मानद उपाधि (Honorary Degree) प्रदान करने हेतु राजभवन का पत्र क्र. 653/1010/2024/रास/यू-1 दिनांक 06.02.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आयोजित 27वाँ दीक्षांत समारोह के Dais में स्थान ग्रहण करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

10. डॉ. के.आर. हरि, प्रो. भू-विज्ञान एवं जल प्रबंधन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय एकल भविष्य निधि खाता क्रमांक 33810221470 से रुपए 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) आंशिक पूर्ण भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

NCNR से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. एन.सी.एन.आर. विभाग में क्रय किए Instruments का Annual Maintenance Contract को Dealer से प्राप्त दर के आधार पर राशि रुपए 15,17,690.00 (रुपए पंद्रह लाख सत्रह हजार छः सौ नब्बे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.02.2024 के बिंदु क्रमांक 8 में तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.02.2024 में लिए गए निर्णय का अनुमोदन करना।

निर्णय: तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.02.2024 में लिए गए निर्णय का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया-

- “(1) विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-184 इंटीग्रेटेड एम.एस-सी. प्रोग्राम ऑफ सी.बी.एस. को सरल क्रमांक-1 में अंकित **Physics, Chemistry, Mathematics and Biology** के स्थान पर **Physics, Chemistry, Mathematics Botany and Zoology** समाहित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
- (2) अध्यादेश क्रमांक-184 के सरल क्रमांक-2 की कंडिका (iv) **Biology** को विलोपित कर उसके स्थान पर (iv) **Botany** (v) **Zoology** को स्थापित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।”

गठित समिति के द्वारा तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार कर आगामी विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

3. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.02.2024 के बिंदु क्रमांक 10 में अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार निम्नानुसार नवीन अध्यादेश का अनुमोदन करना -

- (1) Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.A.B.Ed. Course,
(2) Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Sc. B.Ed. Course एवं
(3) Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Com. B.Ed. Course

निर्णय: नवीन अध्यादेश की निम्नानुसार अनुमोदन किया गया।

- (1) **Ordinance No.- 207 - Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.A.B.Ed. Course,**
(2) **Ordinance No.- 208 - Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Sc. B.Ed. Course एवं**
(3) **Ordinance No.- 209 - Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Com. B.Ed. Course**

04. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.02.2024 के बिंदु क्रमांक 11 में अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार राजभवन के पत्र क्र. 4180/5390/2023/रास/यू-1, दिनांक 28.07.2023 के सापेक्ष प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 178 के संबंध में विचार करना।
निर्णय: उपसचिव, राजभवन के पत्र क्रमांक राजभवन के पत्र क्र. 4180/5390/2023/रास/यू-1, दिनांक 28.07.2023, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 4160/1407/सम./23, दिनांक 16.08.2023 के सापेक्ष प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्र. 178 **M.Tech. in Opto Electronics & Laser Technology** का अनुमोदन किया गया।
5. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.02.2024 के बिंदु क्रमांक 12 में B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ करने की अनुमति एवं परिनियम व अध्यादेश में निम्नांकित संशोधन प्रस्तावित है -

Statute/Ordinance	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
Statute No.-10- Board of Studies	Name of faculty Sr. No. 3 Faculty of Science में नया सरल क्रमांक 11 Forensic Science	
Revised Ordinance No. 21 Bachelor of Science	कंडिका 6(2) में निम्नलिखित विषय समूह सम्मिलित किया जाना है - <ul style="list-style-type: none"> • Forensic Science, Physics & Chemistry. • Forensic Science, Chemistry & Botany. • Forensic Science, Chemistry & Zoology. • Forensic Science, Chemistry & Anthropology. • Forensic Science, Botany & Anthropology. • Forensic Science, Zoology & Anthropology. • Forensic Science, Chemistry & Biochemistry. • Forensic Science, Chemistry & Microbiology. • Forensic Science, Chemistry & Biotechnology. • Forensic Science, Chemistry & Mathematics. • Forensic Science, Chemistry & Geology. • Forensic Science, Chemistry & Computer Science 	B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ किया जाना है।
Revised Ordinance No. 170 Ordinance for Semester System	कंडिका 2(j) में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया जाना है - j) For admission in M.Sc. Forensic Science a candidate must have a Bachelor's degree in Science, Forensic Science, Medical Science, Engineering, Pharmacy, Dentistry, Ayush.	

निर्णय: B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ करने की अनुमति एवं परिनियम व अध्यादेश में निम्नानुसार अनुमोदन किया गया -


- (1) B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ किए जाने का अनुमोदन किया गया।
- (2) Statute No.-10- Board of Studies में Name of faculty Sr. No. 3 Faculty of Science में नया सरल क्रमांक 11 Forensic Science सम्मिलित किए जाने का अनुमोदन किया गया।
- (3) Revised Ordinance No. 21 Bachelor of Science में कंडिका 6(2) में विषय समूह का संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का अनुमोदन किया गया।
- (4) Revised Ordinance No. 170 Ordinance for Semester System में कंडिका 2(j) में निम्नलिखित प्रावधान - j) For admission in M.Sc. Forensic Science a candidate must have a Bachelor's degree in Science, Forensic Science, Medical Science, Engineering, Pharmacy, Dentistry, Ayush. सम्मिलित किए जाने का अनुमोदन किया गया।


4

6. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.02.2024 के बिंदु क्रमांक 14 में विश्वविद्यालय के B.B.A. पाठ्यक्रम का अध्यादेश क्रमांक-91 की बिन्दु क्रमांक-14 पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के B.B.A. पाठ्यक्रम का अध्यादेश क्रमांक-91 की बिन्दु क्रमांक-14 के संशोधन का अनुमोदन किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 2685 / अका. / का.प / 2024
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 18 / 02 / 2024

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)